



जहाँ है हटियाली ।
वहाँ है खुशहाली ॥

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान
(पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)
National Environment Awareness Campaign
(Sponsored by Ministry of Environment & Forests, Govt. of India)

2008-09

राष्ट्रीय विषय
National Theme

“जलवायु परिवर्तन”
"Climate Change"

सहभागिता हेतु मार्गदर्शिका
Guidelines for Participation

कृपया प्रपत्र (परियोजना प्रस्ताव) भरने के पूर्व मार्गदर्शिका का अध्ययन अवश्य कर लें
Please read before filling up the form (Project Proposal)

आवेदन पत्र सभी सहपत्रों सहित क्षेत्रीय संसाधन एजेन्सी को नीचे दिये गये पते पर भेजें ।
Completed proforma with supporting documents to be sent to the RRA
at the following address :



EPCO

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, एपको
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016
दूरभाष – 2464318, 2460189, फ़ैक्स – 0755-2462136
ई मेल – epcobpl@sancharnet.in
वेब साइट – www.epco.in

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान 2008-09

मार्गदर्शिका

विषय : "जलवायु परिवर्तन"

भारत शासन के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान वर्ष 1986 से निरन्तर आयोजित कर वर्ष 2008-09 में भी जारी रहेगा। इस अभियान में चुनी हुई स्वैच्छिक संस्थाएं, शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण संस्थान, व्यवसायिक संघ, वैज्ञानिक निकाय, सामुदायिक संगठन और अन्य एजेन्सियाँ भाग लेती हैं।

अभियान के दौरान आयोजित किये जा सकने वाले कार्यक्रमों की सूची *परिशिष्ट 1* पर दी गई है। देश के सामने मौजूद एक दूसरे से जुड़ी कई पर्यावरणीय समस्याओं को देखते हुए यह अभियान उन विशिष्ट पर्यावरणीय मुद्दों और समस्याओं पर केन्द्रित होगा जिनका संबंध स्थानीय के साथ-साथ क्षेत्रीय भी हो।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गठित समिति के तत्वावधान में यह अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष भी अभियान के आयोजन के स्वरूप को विकेंद्रित रखा गया है। इस दिशा में म.प्र. के लिए पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफको), भोपाल को क्षेत्रीय सम्पर्क एजेन्सी का कार्य सौंपा गया है।

क्षेत्रीय सम्पर्क एजेन्सी की भूमिका

क्षेत्रीय सम्पर्क एजेन्सी मंत्रालय को अपने क्षेत्र के अभियान की योजना बनाने, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन में सहयोग प्रदान करेगी। क्षेत्रीय सम्पर्क एजेन्सी के मुख्य कार्य निम्न होंगे :-

1. क्षेत्र की सभी इच्छुक संस्थाओं को मंत्रालय द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका एवं आवेदन प्रपत्र वितरण।
2. आवेदक संस्थाओं के लिए प्रपत्र के संबंध में मार्गदर्शन व सहयोग संबंधी कार्यशाला का आयोजन।
3. प्राप्त आवेदनों की छानबीन करना, सारांश बनाना एवं तत्पश्चात् प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
4. प्राप्त आवेदनों के चयन में प्राधिकृत समिति को सहयोग प्रदान करना।
5. क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं को अभियान की गतिविधियां आयोजित करने के लिए मंत्रालय द्वारा स्वीकृत राशि का वितरण करना।
6. क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित अभियान की गतिविधियों का पर्यवेक्षण।
7. जिन संस्थाओं को राशि वितरित की गई हो, उनके संपरीक्षित (आडिटेड) लेखा का संयोजन।
8. प्रतिभागी संस्थाओं से उपयोगिता प्रमाण पत्र, गतिविधि रपट, लेखा विवरण प्राप्त कर संयोजित उपयोगिता प्रमाण पत्र व लेखा विवरण मंत्रालय को प्रस्तुत करना।
9. प्रत्येक प्रतिभागी संस्था की गतिविधियों की मूल्यांकन रपट बनाना।

आमंत्रण

इस अभियान के परिचय के साथ आवेदन प्रपत्र का प्रारूप प्रदेश की पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता के क्षेत्र में कार्य कर रही सभी प्रमुख संस्थाओं, समूहों तथा सभी इच्छुक संगठनों को भेजे जा रहे हैं। कृपया ध्यान दें निर्धारित प्रारूप में पूर्ण प्रस्ताव एफको कार्यालय, भोपाल को ही भेजना है, केन्द्रीय मंत्रालय को नहीं। केन्द्रीय मंत्रालय को भेजे गये किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। इस अभियान के अंतर्गत व्यक्तिगत तथा गैर पंजीकृत समितियाँ/ट्रस्ट वित्तीय सहयोग के लिए पात्र नहीं है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की साधिकार समिति आवेदन प्रस्तावों की समीक्षा के बाद मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता निश्चित करेगी। साधिकार समिति के निर्णयों को एफको द्वारा भाग लेने वाली संस्था को सूचित किया जायेगा। यह अनुदान दो किशतों में देय होगा।

- (क.) प्रथम किशत जो कि स्वीकृत राशि का 80 प्रतिशत हिस्सा होगी, स्वीकृति पत्र के साथ दे दी जायेगी।
- (ख.) द्वितीय किशत उपयोगिता प्रमाण पत्र, गतिविधि रपट, संपरीक्षित लेखा विवरण इत्यादि प्राप्त होने के बाद दी जायेगी।

अभियान के लिये निर्धारित समयावधि

1. सभी कार्यक्रमों का आयोजन **24 नवम्बर 2008 से 27 फरवरी 2009** के मध्य होना चाहिए।
2. सभी कार्यक्रम **27 फरवरी 2009** तक निश्चित रूप से सम्पन्न हो जाने चाहिए।
3. साधिकार समिति द्वारा ऐसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जायेगी जिनमें अभियान इस वर्ष के मुख्य विषय के महत्व को स्थानीय पर्यावरणीय मुद्दों और समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में आयोजित किया गया हो तथा स्थानीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को कार्यक्रम में सुनिश्चित किया गया हो।
4. पर्यावरण चेतना के लिये गैर पारम्परिक प्रसार साधनों के प्रयोगों का स्वागत है। उदाहरणार्थ : प्रतियोगिता के पुरस्कारों हेतु पुर्नचक्रीकृत सामग्री का उपयोग किया जावे।
5. कार्यक्रम में कार्यवाही घटक का कुछ हिस्सा लिया जाना चाहिए जिससे पर्यावरण चेतना में सुविधा हो सके। लेकिन इस अभियान में भौतिक संरचना के निर्माण पर आधारित परियोजना पर विचार किया जाना संभव न होगा। ऐसी गतिविधियां अलग से आयोजित अनुवर्ती कार्यक्रमों का हिस्सा हो सकती है।
6. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इस अभियान के अन्तर्गत किसी भी तरह की स्थायी संपत्ति या उपकरण खरीदी के लिये वित्तीय सहायता नहीं दी जा सकेगी।
7. उन परियोजनाओं को अनुकूल रूप से आंका जायेगा जिनमें एक से अधिक सहभागी संस्थाओं तथा स्थानीय प्रशासन का सहयोग लिया जा रहा हो।
8. प्रतिभागी संस्था द्वारा कार्यक्रम की तिथियों तथा स्थान के संबंध में एफको को कम से कम 2 सप्ताह पहले देना चाहिए, जिसके अभाव में द्वितीय किशत रोक दी जायेगी।
9. प्रत्येक प्रतिभागी संस्था को **16 मार्च 2009** के पूर्व एफको को कार्यक्रम की विस्तृत रपट, संपरीक्षित लेखा विवरण, समाचार कटिंग्स तथा फोटोग्राफ्स आदि भेजना आवश्यक है।
10. अभियान के अन्तर्गत संस्थाओं को वित्तीय सहयोग की राशि सामान्यतः **रु. 5,000/- से अधिकतम रु. 20,000/-** तक हो सकती है, अतः प्रस्तावित परियोजना इस सीमा को देखकर ही बनाई जानी चाहिए।
11. एफको में भरे हुए आवेदन पत्र जमा करने की **अंतिम तिथि 25 अगस्त 2008** है। आवेदन पत्र के साथ सभी संलग्नक ए-4 साइज में संलग्न करें।

महत्वपूर्ण जानकारी

1. आवेदन प्रपत्र की मुख्य प्रति एफको को तथा छायाप्रति स्वयं अपने पास रखें।
2. प्रपत्र के साथ संलग्न मार्गदर्शिका अपने पास रखें।
3. कार्यक्रम छोटा लेकिन विषयानुरूप तथा प्रभावी हो तथा 24 नवम्बर 2008 से 27 फरवरी 2009 के मध्य कभी भी सुविधानुसार आयोजित किया जाये।
4. कृपया सुनिश्चित करें कि कार्यक्रम 27 फरवरी 2009 के पूर्व सम्पन्न हो जाये।
5. सभी आयोजनों की पूर्व सूचना एफको कार्यालय में प्रभारी अधिकारी को आवश्यक रूप से दो सप्ताह पूर्व दें।
6. कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात् फोटोग्राफ्स, समाचार पत्रों की कटिंग्स, आडिटेड अकाउन्ट्स तथा कार्यक्रम प्रतिवेदन आदि एफको भोपाल को 16 मार्च 2009 के पूर्व प्रेषित करें।
7. प्रस्ताव में कार्यवाही एवं जागरूकता घटक दोनों के अन्तर्गत गतिविधियां प्रस्तावित की जावे तथा दोनों घटकों के लिए बजट प्रावधान भी पृथक-पृथक दर्शाया जावे। इनके अंतर्गत गतिविधियों का विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है।
8. कार्यक्रमों के आयोजन हेतु आप अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत "जलवायु परिवर्तन" से संबंधित स्थानीय महत्व के विषयों का चयन कर सकते हैं। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय परिस्थितियों के आधार पर निम्नांकित उस विषय के अंतर्गत कार्यक्रम किए जा सकते हैं:-
 - ऊर्जा संरक्षण की तकनीक को अपनाने हेतु प्रचार प्रसार (Campaign for adoption of techniques for Conservation of Energy)
 - स्थानीय प्रजातियों का रोपण (Plantation of local species)
 - गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाने हेतु प्रयास (Adoption of non conventional energy sources)
 - जनसहभागिता से वेटलैण्ड संरक्षण (Wetland conservation with public participation)
 - सामुदायिक सहभागिता से जैव विविधता संरक्षण (Biodiversity conservation with community participation)
 - प्लास्टिक अपशिष्ट/ नगरीय अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन (Management of plastic waste, urban solid wastes and bio-medical waste)

जागरूकता घटक : उपरोक्त विषय पर कार्यशाला, शिविर, आमसभा, प्रशिक्षण कार्यक्रम, पदयात्रा, रैली, शैक्षिक सामग्री का निर्माण, उत्सव, लोक संचार, नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनी, प्रतियोगिताएँ, विज्ञान मेला आदि कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते हैं।

कार्यवाही घटक : इसके अंतर्गत क्षेत्र के जल स्रोतों/तालाबों की सफाई, सफाई अभियान, वृक्षारोपण, पवन चक्की एवं सौर ऊर्जा का उपयोग (जैसे: सोलर कुकर एवं हीटर) घरेलू कचरा प्रबंधन/ वर्मी कम्पोस्टिंग, म्यूनिसिपल अपशिष्ट एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि का आयोजन सुनिश्चित किये जा सकते हैं।

9. बजट तैयार करने के उपरान्त आवेदन पत्र के अंतिम पृष्ठ पर संक्षेपिका में भरने के लिए बजट का ब्रेकअप निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। सम्पूर्ण बजट में मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रावधान होते हैं **प्रथम वर्ग** के अंतर्गत Logistic Expenditure (Denoted by L) i.e. बैठक व्यवस्था, बैनर, स्वल्पाहार, स्वागत सामग्री, परिवहन, फोटोग्राफी आदि व्यय इसके तहत तथा **द्वितीय वर्ग** के अंतर्गत Resource Expenditure (Denoted by R) में मानदेय, शैक्षणिक सामग्री तैयार करना, पम्पलेट व पोस्टर आदि का व्यय समाहित होंगे। आवेदन पत्र को भरते समय ऊपर दिये गये मार्गदर्शन के अनुसार प्रस्तावित व्यय को श्रेणी में विभक्त कर संक्षेपिका में पृथक-पृथक उल्लेख करें। कृपया ध्यान रखें कि विभिन्न मदों में दर्शायी गयी कुल राशि रु. 20,000/- से अधिक न हो।

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान 2008-09

सम्बद्ध समूह (Target Group)

विद्यार्थी / युवा	Student/Youth
शिक्षक	Teachers
नारी	Women
स्वयं सेवी संगठन/स्वयं सेवक	NGOs/Voluntary workers
किसान / ग्रामीण जन	Farmers/Rural Population
सामान्य जनता	General Public
सामाजिक कार्यकर्ता	Social workers
सेना के जवान	Armed Forces Personnel
औद्योगिक श्रमिक	Industrial Workers

कार्यक्रम (Activities)

(अ) जागरूकता घटक	Awareness Component	(ब) कार्यवाही घटक	Action Component
कार्यशाला	Workshop	वृक्षारोपण	Plantation
प्रशिक्षण कार्यक्रम	Training course	नम भूमि संरक्षण	Wetland Conservation
शिविर	Camp	ऊर्जा संरक्षण	Energy Conservation
पदयात्रा	Padyatra	पवन एवं सौर ऊर्जा का उपयोग जैसे: सोलर कुकर एवं हीटर	Use of wind and solar energy i.e. solar cookers and heaters
रैली	Rally		
आमसभा	Public meeting	जल स्रोतों/तालाबों की सफाई	Cleaning of waterbodies/ tanks
प्रदर्शनी	Exhibition		
परियोजना प्रदर्शन	Demonstration Projects	सफाई अभियान	Cleanliness drive
दृश्य-श्रव्य सामग्री का निर्माण	Preparation of Audio Visual Materials		
लोक संचार	Folk Media	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (जैसे- घरेलू कचरा निष्पादन/ वर्मी कम्पोस्टिंग, म्यूनिसिपल अपशिष्ट, जैविक अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट)	Solid waste management (i.e. household waste and composting/ vermi composting, Municipal Waste, Bio Medical Waste, Plastic Waste)
नुककड़ नाटक	Street Theatre		
उत्सव	Festivals		
प्रतियोगिता	Competition		
विज्ञान मेला	Science Fair		
सी डी रोम तथा अन्य मल्टीमीडिया उपकरणों की तैयारी तथा उपयोगिता	Preparation/Use of CD-ROM & other multi-media tools		

टिप्पणी: जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के समय यह ध्यान रखा जाये कि चयनित मुद्दों / विषयों में कार्यवाही घटकों का समावेश हो, इससे स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित होगी तथा समुदाय को लाभ मिलेगा। कार्यवाही घटक के बिना प्रस्तावों को सहयोग प्रदान करने के लिए विचार नहीं किया जावेगा।

Note: While the above activities could be used for creation of awareness, the proposal must also include an action-oriented component related to the issue identified, which would result in concrete action preferably involving local people and in benefiting the community. **Proposals without action component would not be considered for assistance.**